

हुमना/विश्व आवेदन के दिनांक का नाम शुद्ध प्रमाणित

1372

रिपोर्ट पटवारी पत्ना/आर०एल०आर० क-क(1)-1

पत्र के संबंध में जाना नहीं गई। जिसके अनुसार रिपोर्ट पटवारी/श.अ. निरीक्षक रिपोर्ट, श्री मन्मथ क. निरंजन की प्रमाणित प्रमाणित एवं शपथ पत्र व प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार नाम शुद्ध प्रमाणित उचित होगा।

15/11/21

P.C.D. 15/11/21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

दिनांक -

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी पत्ना उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की आवश्यकता की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जागा उचित

16/11/2021

तहसीलदार (सु.अ.) गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

- आदेश :-

दिनांक :- 16/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षी एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नांकित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	क-क(1)-1	2075- 2078	419	सुगुदर सिंह पुत्र पेपलिंग	सुगुदर सिंह पुत्र पेपलिंग

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 16/11/21

क्रमांक - राजस्व / 2020 / 1118-19

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वारते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

